

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
	53, 188 RTA	रत्नापुर	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रत्नापुर	बनाम	शकालु वर	

वकील :- आदेश पत्रक कार्यवाही एवं आदेश वकील :- विविध संदर्भ

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
17-2-23	अभिभाषण करी द्वारा वाद पत्र क्रमांक धारा 53, 188 RTA विरुद्ध जॉर्ज करी गज के नाम से प्रेष प्रेष किया गया। रिपोर्ट करिस्टा का अलौकिक किया गया। उक्त रिपोर्ट रखे किया गया जॉर्ज करी गज के जर्न समाप्त रखे किया जाकर पत्रावली सिंगे 17-3-23 को प्रेष की।	
17-3-23	गोठसीन अधिकारी को एड. ताल में रहने से पूर्ववत दिनांक 15-5-23 को प्रस्तुत की। 14/रीडर नया खण्ड अधिकारी बारी	शकालु वर रत्ना
15-5-23	गोठसीन अधिकारी को एड. ताल में रहने से पूर्ववत दिनांक 26-6-23 को प्रस्तुत की। 14/रीडर नया खण्ड अधिकारी बारी	
26-6-23	गोठसीन अधिकारी को एड. ताल में रहने से पूर्ववत दिनांक 8-8-23 को प्रस्तुत की। 14/रीडर नया खण्ड अधिकारी बारी	प्रतिवादी का - 2/14/07-2023 की ओर में एड. ताल में प्रेष की, प्रेष की (जन) सुनिश्चित एड. ताल में प्रेष की (जन) प्रेष की (जन) प्रेष की (जन)
8-8-23	गोठसीन अधिकारी को एड. ताल में रहने से पूर्ववत दिनांक 3-10-23 को प्रस्तुत की। 14/रीडर नया खण्ड अधिकारी बारी	

राजस्थान अधिकांशी (पञ्चायत) अधिनियम 1952 में होने से पूर्ववत् दिनांक 5-11-24 को प्रस्तुत है।

*(Handwritten signature)*

राजस्थान अधिकांशी अधिकारी

5-11-24

पत्रावली आज चेन्नै हुई। वरीक वादी एवं वरीक उद्दितादी 300 वही। वरीक वादी एवं वरीक उद्दितादी के बीच का-आवाज लगेवा-इ-इ-वातजुद सूचना से वरीक वादी एवं वरीक उद्दितादी 'व्यापारिक' के 300 वही। वादी का नाम अदम राजी अदम पं.नी के लक्ष्मीज लिखा जाता है।

पत्रावली बाद वरीक वरीक के दायित्व दफ्तार है।

10